संख्या-आर- 02 /32-2-2-92-1/69/35

प्रेषक,

श्री कमलाकान्त अग्रवाल
सचिव
लो०नि० एवं राज्य सम्पत्ति विभाग

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष

राज्य सम्पत्ति अनुभाग -2 लखनऊ: दिनांक: 2 जनवरी, 1992

विषय:- राजकीय कर्मियों की सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के लिये किराया का निर्धारण। x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय मामलों में सरकारी कर्मियों द्वारा सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण के उपरान्त अतिरिक्त अवधि तक सरकारी आवासों पर कब्जा बनाये रखना अपरिहार्य हो जाता है। इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अध्यासी की सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में अपरिहार्य परिस्थितिवश राजकीय आवासों में अध्यासित रहने की स्थिति में निम्नवत किराया निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) सेवा निवृत्ति / मृत्यु की दशा में सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि से एक माह तक का किराया सामान्य दर अर्थात फ्लैट रेन्ट से लिया जायेगा। उसके पश्चात तीन मास की अतिरिक्त अवधि का अध्यासन राज्य सरकार की विशेष अनुज्ञा से सामान्य दर पर रखा जा सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अध्यासी अथवा उसके उत्तराधिकारी एक मास का सामान्य अध्यासन अवधि समाप्त होने के पूर्व ही अतिरिक्त अध्यासन हेतु आवेदन पत्र देगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर सम्बन्धित अध्यासी को अनिवार्यतः आवास रिक्त करना होगा।

(2) राजकीय कर्मी के स्थानान्तरण की दशा में कार्यभार छोड़ने की तिथि से एक मास तक का किराया सामान्य दर से लिया जायेगा। एक मास की अवधि के उपरान्त दो माह तक की अवधि के लिये राज्य सरकार की विशेष अनुज्ञा से किराया सामान्य दर पर लिया जा सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अध्यासी एक मास का सामान्य अध्यासन अवधि समाप्त होने के पूर्व ही अतिरिक्त अध्यासन का आवेदन पत्र देगा। तत्पश्चात अगले दो मास के लिये सामान्य किराये के दो गुना दर पर अनुवर्ती अगले 2 मास के लिये सामान्य किराये के तीन गुना दर पर लिया जायेगा। 7 मास की उक्त अवधि के पश्चात भवन अनिवार्यतः रिक्त कर दिया जायेगा।

(3) सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण की दशा में किये गये अनाधिकृत अध्यासन के लिये जैसा कि एफ.एच.बी. खण्ड-2 भाग-2-4 के मूल नियम-45-ए-(4) के अधीन बने गये सहायक नियम -18-ए-(5) में दिया गया है,

—2/—

की स्थिति में शासनादेश संख्या-आर-8004/32-2-38, दिनांक 24 दिसम्बर, 1988 के अनुसार श्रेणी-1, 2 और 3 के भवनों के लिये रूपया 20 प्रतिवर्ग मीटर लिविंग एरिया की निर्धारित दर तथा शेष अन्य भवनों के लिये रूपया 25 प्रतिवर्ग मीटर की निर्धारित दर से प्रतिमाह क्षतिपूर्ति देय होगी।

2- उपर्युक्त निर्धारित किराये से कोई भी विचलन संबंधित मामले के गुणागुण के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से ही किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रत्येक अपवादिक विचलन पर विभागीय मंत्री जी तथा मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

3- यह आदेश एक जुलाई 1988 से प्रभावी होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-जी-111 1102/दस-91, दिनांक 27-11-91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कमला कान्त जेठपाल
सचिव

संख्या-आर-02 111/32-2-91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख अभियन्ता, लो०नि० विभाग, लखनऊ।
2- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय।सम्पत्ति निदेशालय, नई दिल्ली।
4- लखनऊ स्थित भारत सरकार के समस्त विभागाध्यक्ष।
5- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक।
6- निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
8- उ०प्र० समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव/सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग
9- मुख्य सचिव, के स्टाफ आफिसर/ सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० लखनऊ।
10- सचिवालय के समस्त अनुभाग/स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली।
11- स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली/स्थानिक अधिकारी कलकत्ता।
12- विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
13- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 तीन प्रतियों में।

आज्ञा से,

डी० डी० सिंह
विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी

निर्गमन प्राधिकृत

(हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2
उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ।

Scanned by CamScanner